राष्ट्रीय बाल भवन
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय
का स्वायत संस्थान स्कूल शिक्षा एंव साक्षरता विभाग,
भारत सरकार)
कोटला रोड़, नई दिल्ली – 110002

NATIONAL BAL BHAVAN
(An Autonomous Institution under
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education & Literacy
Govt. of India)
Kotla Road, New Delhi - 110002

Tel.: 23232672, 23232667, 23231597 Fax : 23231158

F3(1)/NBB/DD(P)/NCA/2015 दिनांक : 13.10.2015

विषय : राष्ट्रीय बाल असेम्बली एवं एकता शिविर – 2015

प्रिय निदेशक,

प्रत्येक वर्ष की भांति राष्ट्रीय बाल भवन ''मेरा गाँव – मेरा गौरव'' विषय पर 14 से 20 नवम्बर 2015 तक सप्ताह भर का राष्ट्रीय बाल असेम्बली एवं एकता शिविर कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यक्रम का विस्तृत ब्यौरा आपको शीघ्र ही भेजा जाएगा।

''मेरा गाँव – मेरा गौरव'' कार्यक्रम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम चाहेंगे कि कार्यक्रम में भाग ले रहे छात्रों को यह जानकारी होनी चाहिए कि वे गाँवों तथा उसकी संस्कृति को सृजनात्मक रूप से दर्शाएं। सहभागियों से अपेक्षित है कि वे गाँवों से जुड़ें और वे देश के गाँवों में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहयोग प्रदान करें। यह सदैव की भांति 6 दिवसीय विशाल कार्यक्रम होगा, जिसमें विभिन्न बाल भवनों एवं बाल केन्द्रों से विभिन्न प्रकार की गतिविधियों तथा उत्साहपूर्ण सहभागिता सम्मिलित रहेंगी।

समस्त बाल भवनों और केन्द्रों से अनुरोध है कि वे इस 6 दिवसीय कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों के लिए अपनी टीमों को भेजें। निम्नलिखित गतिविधियों में छात्रों की सहभागिता अपेक्षित है :–

1. लोक संगीत (गायन अथवा लोक वाद्य, समूहगान के लिए अधिकतम 5 सहभागी अथवा वाद्य के लिए अधिकतम 2 सहभागी)
2. लोक नृत्य (आपके क्षेत्र के लोक नृत्य का प्रतिनिधित्व, इस टीम में अधिकतम 8 छात्र होंगे)
3. नुक्कड नाटक (एक टीम के लिए अधिकतम 10 छात्र, इस का विषय ''मेरा आदर्श गाँव'' रहेगा)
4. कठपुतली कला (टीम में अधिकतम 4 सदस्य होंगे, इसका विषय''ग्रामीण लोक कथाएं'')

5. ग्राम पंचायत/समिति – गाँव की समस्याओं और समाधान के लिए 1 छात्र, छात्र से कहा जाएगा कि वह इस विषय पर नाट्य प्रतिनिधित्व करे और उसे विभिन्न टीमों का हिस्सा बनाया जाएगा।
6. गाँवों में ''ऊर्जा संसाधनों का नवोन्मेषी इस्तेमाल'' पर कार्यशील मॉडल प्रस्तुति। एक केन्द्र से एक सहभागी रहेगा।
7. ग्रामीण परीदृश्य तथा गाँवों की भावी योजना/प्रौद्योगिकी पर चर्चा, एक केन्द्र से एक सहयोगी।

सभी गतिविधियों दो समूहों में विभक्त हैं :–

1. अपनी दक्षता का प्रदर्शन – इसमें लोक संगीत/गायन, लोक नृत्य, नुक्कड नाटक तथा कठपुतली कला शामिल है।
2. दिमाग की कसरत – कार्यशील मॉडल, ग्राम पंचायत एवं परिचर्चा।

प्रत्येक बाल भवन/बाल केन्द्र प्रत्येक गतिविधि के लिए एक प्रविष्टि भेज सकता है। दोनों ही श्रेणियों में प्रविष्टि के लिए पूर्व पंजीकरण तथा ब्यौरा (संक्षिप्त लिखित विवरण) देना आवश्यक है। राष्ट्रीय बाल भवन स्तर पर प्रविष्टियों की पड़ताल की जाएगी और तद्नुसार इसका चयन किया जाएगा। इस दिशा में राष्ट्रीय बाल भवन का निर्णय अन्तिम होगा। सहभागी बच्चों की संख्या चयनित गतिविधियों के अनुसार भिन्न हो सकती है, किंतु बच्चों की अधिकतम सहभागिता 10 की संख्या से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

प्रत्येक गतिविधि का ब्यौरा एवं पंजीकरण फार्मेट बाद में भेजा जाएगा। आपसे अनुरोध है कि आप गतिविधि कर चयन करें जिनमें आप सहभागिता करना चाहेंगे और इस निमित्त आप अपना सहमति पत्र 20.10.2015 तक हमें भिजवा दें।

ऐसी स्थिति में जहां बाल भवन सहभागिता के लिए किसी टीम को नहीं भेज पा रहे हैं, तो आप मानदंडों के अनुसार 5 बच्चों तथा उनके एस्कोर्ट की जानकारी भेजें। इस टीम को राष्ट्रीय बाल भवन में 13 नवम्बर 2015 को अवश्य रिपोर्ट करना है और वे 21 नवम्बर 2015 को दिल्ली से वापस प्रस्थान कर सकेंगे।

बच्चों तथा 1 एस्कोर्ट के लिए (मिश्रित समूह के लिए 2 एस्कोर्ट) का यात्रा/दैनिक भत्ता बाल भवन मानदंडों के अनुसार स्वीकृत किया जाएगा, जो इस प्रकार है :–

i) आने–जाने का द्वितीय श्रेणी स्लीपर किराया देय होगा।

ii) प्रस्थान स्थल के रेलवे स्टेशन/बस परिवहन डिपो तक बस/ऑटो किराया देय होगा। (टैक्सी अथवा डीलक्स बस की अनुमति नहीं है)

iii) प्रत्येक बच्चे के लिए 125/– तथा प्रति एस्कोर्ट के लिए 175/– को दर से दैनिक भत्ता देय होगा। दैनिक भत्ता आनुपातिक आधार पर निम्नानुसार है :–

(i) 6 घण्टे से अधिक किंतु 12 घण्टे से कम – 70%

(ii) 12 घण्टे से ऊपर – पूर्ण दैनिक भत्ता अर्थात् – 100%

(iii) दैनिक भत्ते की समयावधि 24 घण्टे की होगी

पूर्वोत्तर बाल भवनों के सहभागियों के लिए, कोलकाता तक तथा कोलकाता में मूल स्थान वापसी के लिए एयर इंडिया विमान से यात्रा की अनुमति है। कोलकाता से दिल्ली तक तथा वापसी की शेष यात्रा के लिए उपरोक्त ब्यौरे के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

कृपया बच्चों तथा संरक्षकों को भेजते समय निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लें :–

1. प्रशासनिक कारणों के चलते, केवल बाल भवन /केन्द्र का स्टाफ ही बच्चों को एस्कोर्ट करेंगे/बच्चों के एस्कोर्ट के लिए संरक्षकों को लाने की अनुमति नहीं है।
2. सहभागी बच्चों के अपने साथ महंगी वस्तुएं नहीं लानी चाहिए।
3. सहभागीगण (बच्चे) अपने एस्कोर्ट के साथ 13 नवम्बर 2015 को राष्ट्रीय बाल भवन में अवश्य रिपोर्ट कर दें और वे 21 नवम्बर 2015 को दिल्ली में वापिस लौट सकेंगे।
4. बच्चे तथा एस्कोर्ट उनके बाल भवन द्वारा जारी परिचय पत्र अपने साथ लायेंगे।
5. संलग्न फार्म के माध्यम से सहभागियों का पंजीकरण किया जाएगा।

किसी अन्य जानकारी/शंका के संबंध में आप हमें infoprogsection@gmail.comदूरभाष **011-23230105** पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

शुभकामनाओं के साथ।

(डा0 उषा कुमारी एम.सी.)
निदेशक